कार्यालय जिला कलक्टर नागौर

क्रमांक प.1(सी)संस्था/2018/

दिनांक

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या ईसीआई/पीएन/66/2018 दिनांक 06.10.2018 द्वारा राज्य में विधानसभा आम चुनाव 2018 का कार्यक्रम घोषित किया गया है। उक्त कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही समस्त राज्य कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन आ जाते है।

अतः समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:—

1. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी की पुर्वानुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे।
3. अधीनस्थ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि मुख्यालय छोड़ने से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) की पूर्वानुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।
4. अधीनस्थ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) की पूर्वानुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे। निर्देशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,नागौर

क्रमांक सम/ 4534-58
दिनांक 8-10-18

प्रतिलिपि—

1. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी ————————————————————
2. रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम)————————————————
3. प्रभारी अधिकारी (चुनाव) कार्यालय हाजा
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नागौर को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त आदेश को जिले की बेवसाईट www.nagaur.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, नागौर को प्रचार प्रसार हेतु

जिला कलक्टर
नागौर

Scanned by CamScanner